

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
आल इंडिया इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,
फूलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 6.7.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	जगरनाथ प्रसाद पिता-स्व. नथुनी प्रसाद ग्राम+पो0-करमवा थाना मझौलीया जिला-प0 चम्पारण	नी रिपलेस्मेंट रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
2	दिलिप कुमार पिता-पन्ना लाल चौधरी ग्राम-सोहगी पो0-सोना गोपालपुर थाना-गौरीचक, जिला-पटना	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) मात्र का क्रास चेक सं० 3822048मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1023(14)

पटना, दिनांक 18.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/07/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
15/7/16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
दिव्य दृष्टि आई सेंटर,
मंगल मार्केट, शेखपुरा,
पटना 800014 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 6.7.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सत्य नारायण यादव (जे.पी. पेशनधारी) पिता-स्व. केवल यादव ग्राम-दहियारी पो०-बटिया थाना-सोनो जिला-जमुई	नेत्र रोग	₹ 30,000/- (तीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 30,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,000/- (तीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं० 388051..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)


ज्ञापांक

1026(14)

पटना, दिनांक

18.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
18/7/16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,
पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 6.7.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रमुना देवी पति—शिव मुनी साह ग्राम—रेहारी पो०—बरहरी थाना करगहर जिला—रोहतास	कैंसर रोग	₹ 6,000 /—(छः हजार) स्वीकृत।
2	कामेश्वर दास पिता—स्व. बैजनाथ दास ग्राम—पो०—साम्बे थाना—वारसलीगंज जिला—नवादा	घुटना रोग	₹ 80,000 /—(अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 86,000 /

- उक्त अनुदान की कुल राशि 86,000 /— (छियासी हजार) का क्रास चेक सं० 388050 मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र / छद्म नाम / अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज / उनके अभिभावक / उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 18.07.16

ज्ञापांक

1025(14)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/11/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
15/11/16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय
कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 6.7.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मट्टु राम पिता-राज कुमार राम ग्राम-पो०-मघड़ा थाना-दीपनगर जिला-नालंदा	घुटना प्रत्यारोपण रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	अखिलेश सिंह पिता-श्रवण सिंह ग्राम-पो०-पहाड़पुर थाना-गरखा जिला-सारण	हिप रिपलेस्मेंट रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
3	नवरत्न कुमार पिता-नरेश प्रसाद मंडल ग्राम-पक्की सराय पो०-थाना-घोघा जिला-भागलपुर	वस्कूलर सर्जरी एवं फैंसीबो टॉमी रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
4	अवधेश प्रसाद पिता-रामायण प्रसाद ग्राम-जगदीशपुर पो०-बरौली थाना-पीरो जिला-भोजपुर	हिप रिपलेस्मेंट रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
5	सोना देवी पति-मोहन लाल कुशवाहा ग्राम-पो०-मुथर थाना-जिला-जहानाबाद	हिप रिपलेस्मेंट रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,50,000/-

30/11/16
12/11/16

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 5,50,000/-(पांच लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388049 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम-"आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388049 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

1024(14)

पटना, दिनांक 18.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
15/7/16

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,

एस.एस. हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,

मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 6.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राजेश रंजन पिता-विरेन्द्र कुमार अम्बस्ट ग्राम-मधुसुदन कालोनी गली नं०-3, पो०-चौद चौरा थाना-विष्णुपद जिला-गया	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	फुदन सिंह पिता-खोबारी सिंह ग्राम-जारंगी पो०-जारंग रामपुर थाना-बेलसर ओ०पी० जिला-वैशाली	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,40,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 388047 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

20/8/16
15/7/16

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 328047 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

1022(14)

पटना, दिनांक

18.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

₹0/-
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
15/7/16

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 6.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	चंदन कुमार पिता-चन्दारिक कुमार ग्राम-महलचक पो०-थाना+जिला-जहानाबाद	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	जगदीश साह पिता-शिरजा साह ग्राम-गौरा 01 पो०-गौरा थाना-बोधड़ा जिला-बेगूसराय	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	राम प्रसाद दास पिता-स्व. भुट्टु दास ग्राम-जगदीशपुर मालपुर पो०-चकहाजी थाना-जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,50,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 388046 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम "HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।

20/11/16
12/11/16

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक गांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388045 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1021(14)

पटना, दिनांक 18.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/184/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
18/7/16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
फोर्ड हॉस्पिटल, एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 6.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राज किशोर प्रसाद पिता-राज बल्लभ सिंह ग्राम-लोदीपुर पो०-मुठेर थाना-जिला-जहानाबाद	मुत्र रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
2	नन्दु प्रसाद पिता-शिवु महतो ग्राम-पो०-चन्दौरा थाना वेना जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	इसराइल शेख पिता-स्व. खलील शेख ग्राम-चकलाल शाही पो०-हलई थाना-ताजपुर जिला-समस्तीपुर	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	फूलवंती देवी पति-जवाहर लाल साह ग्राम-प्रतापपुर टोला सुरवनिया पो०-उदन्त राय के बंगला थाना-माझागढ़ जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	₹ 48,000 /-(अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
5	गीता देवी पति-स्व० सतीश चन्द्र ग्राम-चैलीटाल पो०-गुलजारबाग थाना-आलमगंज जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

31/11/16

6	मो० नागो पिता-स्व. जयनुद्धीन ग्राम- मोगलाहा पो०-बनैली थाना-के० नगर जिला-पूर्णिया	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
7	अनिल कुमार पिता-स्व० हरिनाथ महतो ग्राम-गुर की मंडी पीताम्बरा मंदिर कालोनी, पो०-गुलजारबाग, थाना-आलमगंज जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
8	कृष्णा महतो पिता-शिवन महतो ग्राम-सन्दलपुर पो०-महेन्दु थाना-बहादुरपुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
9	संजय मांझी पिता-जानकी मांझी ग्राम-हिदायतपुर टोला पो०-मंझौली थाना-शालीमपुर जिला-पटना	प्लास्टिक एवं	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
10	गिरजा देवी पति-बासु मिस्त्री ग्राम-बड़ी केवई पो०-दनियांव थाना-शाहजहाँपुर जिला-पटना	बोन सर्जरी रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
11	संजय राम पिता-कपिल राम ग्राम-पो०-खुटहन थाना-हसपुरा जिला-औरंगाबाद	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
12	शंकर कुमार पिता-अर्जुन प्रसाद यादव ग्राम-भदौनी पो०+थाना+जिला-नवादा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
13	अनिल कुमार सिंह पिता-मुन्द्रिका सिंह ग्राम-जहनपुर पो०-जोगता थाना-चौदी जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

2014/13
12/11/14

14	अवधेश प्रसाद पिता-रामाशीष प्रसाद ग्राम-बरछी बीगहा पो0-थाना-गिरियक जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
15	नौलेश कुमार पिता-जगदीश सिंह ग्राम-नौशहरा पो0-लखावर थाना-घोषी जिला जहानाबाद	ब्रेन सर्जरी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
16	कांति देवी पति-शालीग्राम शर्मा ग्राम-पो0-डोमा थाना-सालीमपुर जिला-पटना	बोन सर्जरी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
17	श्याम किशोर सिंह पिता-राम रतन सिंह ग्राम-रूपसपुर पो0-सलेमपुर थाना-अलीपुर जिला-गया	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
18	स्नेहा कुमारी पिता-दिनेश सहनी ग्राम-सब्जीबाग दर्जी टोला पो0-बांकीपुर थाना-पीरबहोर जिला पटना	ऑत रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
19	सीता राम मंडल पिता-स्व. चतुरी मंडल ग्राम-बजरंगबली नगर पो0-नौवागढ़ी थाना-नया राम नगर जिला-मुंगेर	सर्जरी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
20	लालमुनी देवी पति-सुरेश प्रसाद सिंह ग्राम-28, कुम्हार बैठका पो0-बहादुरपुर थाना-अगमकुंआ जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 19,83,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 19,83,000/- (उन्नीस लाख तेरासी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 338045..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।

31/11/13
12/7/16

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 288045 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1020(14)

पटना, दिनांक 18.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वा स्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/7/16
18/7/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-1/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 6.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	जय नारायण राउत पिता-स्व० कुसुम लाल राउत ग्राम-मिर्जापुर डुमरीया पो०-खैरा चन्दा थाना-नरपतगंज जिला-अररिया	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
2	किशोर कुमार पिता-स्व. जगदीश प्र० सिन्हा ग्राम-सचिवालय कालोनी पो०-लोहियानगर थाना-कंकड़बाग जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	नागेन्द्र कुमार मिश्रा पिता-स्व. कृष्णदत्त मिश्रा ग्राम-लक्ष्मीपुर पो०-कमरपुर थाना-मुफसिल जिला-बक्सर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	नीलम कुमारी पिता-लक्ष्मी दास ग्राम-पो०-रघुनाथपुर थाना-ताजपुर जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
5	विनोद सिंह पिता-टुनी सिंह ग्राम-नियाजीपुर पो०-थाना-फतुहा जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।

31/11/16
12/11/16

6	शालीनी कुमारी पिता-रवि शंकर कुमार मोहल्ला-लोहियानगर पो0-सुहीर्द नगर थाना-जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 45,000 /-(पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
7	सीमा खातुन पिता/पति-शेरे आलम खान ग्राम-करहरी पो0-अहिलवारा थाना-विरौल जिला-दरभंगा	हृदय रोग	₹ 45,000 /-(पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
8	समसुद्दीन मियां पिता-नुर मोहम्मद ग्राम-नसीरपुर पो0-लक्ष्मीपुर थाना-चन्दौती जिला-गया	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
9	मास्टर अंकित राज पिता-रंजीत कुमार ग्राम+पो0-केशोपुर बभनगांव थाना-पारु जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 70,000 /-(सतर हजार) स्वीकृत।
10	चन्दन देवी पति-मुनेश्वर मंडल ग्राम-जफरुदास टोला पो0+थाना-इस्माईलपुर जिला-भागलपुर	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
11	राज कुमार राय पिता-स्व.झारी लाल राय ग्राम-कैजीय विष्णुपुर पो0-चंदौली थाना-वैनी ओ0पी0 जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
12	इन्द्रकला देवी पति-सुरेन्द्र कामत ग्राम-मकरोय पो0-महेशपुर थाना-पीपरा, जिला-सुपौल	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
13	रघुनाथ पासवान पिता-जोगी पासवान ग्राम-पो0-अन्टौर थाना-बहेरा जिला-दरभंगा	हृदय रोग	₹ 45,000 /-(पैंतालीस हजार) स्वीकृत।

14	राम बाबु सिंह पिता-स्व. अशर्फी लाल सिंह ग्राम-हरनबाधा पो-थाना-मकेर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 12,00,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,00,000/- (बारह लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388044..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388044.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

1019(14)

पटना, दिनांक 18.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/7/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.7.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कृष्णा प्रसाद पिता-राम औतार राम ग्राम-बेलवा पो०-चेचाढ़ी थाना-दाउदनगर जिला-औरंगाबाद सीआरनं०-3405/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	मो० मुनीफ पिता-मो० इशहाक ग्राम-शरीफ कोलोनी बारीपथ पटना-6, पो०-महेन्दु, थाना-पीरबहोर जिला-पटना सीआरनं०-66634/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	प्रकाश कुमार दास पिता-गोवर्धन दास ग्राम-चाननटाड पो०-डुमरी थाना-सोनो जिला-जमुई सीआरनं०-3522/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	निशा कुमारी पति-रामचन्द्र कुमार ग्राम-चीनबेरीया पो०-गौरा थाना-लक्ष्मीपुर जिला-जमुई सीआरनं०-162373/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

31/8/16
12/7/16

5	उर्मिला देवी पति-स्व. कृष्ण कुमार राय ग्राम-दक्षिणी धमौन पो0-धमौन थाना-पटोरी जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-27580/16	हृदय रोग	₹ 90,000/- (नब्बे हजार) स्वीकृत।
6	सिया देवी पति-स्व. राम धन राम ग्राम-पो0-डीमाहा थाना-गोपालपुर जिला-भागलपुर सीआरनं0-81840/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
7	संदीप कुमार राय पिता-केंदार राय ग्राम-सलेमपुर पो0-हांसी केवल थाना-भगवानपुर जिला-वैशाली सीआरनं0-77073/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
8	कमला देवी पति-मणि रविदास ग्राम-गोसाई टोला, लखीसराय, पो0+थाना+जिला-लखीसराय सीआरनं0-69263/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
9	सुशीला देवी पति-राम विलास ठाकुर ग्राम-राजा देवर पो0-फरहा थाना-अकबरपुर जिला-नवादा सीआरनं0-112089/14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
10	कंचन कुमारी वर्मा पति-ए0के0 मुरारी ग्राम-पुराना शहर, कायस्त टोली, पो0+थाना-दाउदनगर जिला-औरंगाबाद सीआरनं0-79635/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
11	बिन्दा देवी पति-स्व. मुंशी सिंह ग्राम-गंजपर पलंगा पो0-निसरपुरा थाना-परसा बाजार जिला-पटना सीआरनं0-66725/16 ११/११/११ ११/११/११	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

12	कार्तिक यादव पिता-केवल प्रसाद यादव ग्राम-दहियारी पो0-बटीया थाना-सोनो जिला-जमुई सीआरनं0-82535 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
13	अंकुश कुमार पिता-चंदन कुमार ग्राम-पो0-रेहुआ थाना-जिल-लखीसराय सीआरनं0-50649 / 16	किडनी रोग	₹ 50,000 / - (पचास हजार) स्वीकृत।
14	मथुरा साव पिता-खदेरन साव ग्राम-अबगीला देवी स्थान पो0-बुनियादगंज थाना-मुफसिल जिला-गया सीआरनं0-028564 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / - (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
15	मो0 इबरार आलम पिता-मो0 इस्लाम अंसारी ग्राम-किला लरुई पो0-चौदपुरा थाना-राजापाकर जिला-वैशाली सीआरनं0-79553 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
16	बेबी देवी पति-स्व. सत्येन्द्र सिंह ग्राम-बेरी पो0-करंजा थाना-विक्रम जिला-पटना सीआरनं0-94563 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
17	साधुरी देवी पति-प्रेम नाथ गुप्ता ग्राम-नाथचक पो0+थाना-बाढ जिला-पटना सीआरनं0-27298 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
18	दशरथ सहनी पिता-भैरो सहनी ग्राम-पो0-लदहो थाना-विरौल जिला-दरभंगा सीआरनं0-42467 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।

31/8/18

19	योगेन्द्र पंडित पिता-स्व० राम दास पंडित ग्राम-कंचनपुर पो०-रजासन थाना विदुपुर जिला वैशाली सीआरनं०-57103 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
20	दधीबल महतो पिता-स्व० राम सहारा महतो ग्राम-कलटोला पो०-काबर थाना-बरारी जिला कटिहार सीआरनं०-65417 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
21	देवपति देवी पति-जग नारायण सिंह ग्राम-सिरिपर पो०-गंगाचक थाना-मसौढ़ी जिला-पटना सीआरनं०-24154 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
22	लालो देवी पति-स्व० बैजु महतो ग्राम-मकनपुर पो०-बरारा थाना-नुरसराय जिला नालंदा सीआरनं०-88853 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
23	बेचन कुमार पिता-विरेन्द्र यादव ग्राम-नवलखीया वार्ड नं०-1 पो०+थाना+जिला-मधेपुरा सीआरनं०-91224 / 16	हृदय रोग	₹ 50,000 /--(पचास हजार) स्वीकृत।
24	खुशबु कुमारी पिता-विनोद कुमार ग्राम-विशुन बिगहा पो०-डबुर थाना-कोंच जिला-गया सीआरनं०-85569 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
25	बन्दना देवी पति-नोखे लाल यादव ग्राम-बघवा पो०-नया नंद गोला थाना-टीका पट्टी जिला-पूर्णिया सीआरनं०-79792 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।

21/11/16
12/11/16

26	बिन्दा देवी पति-स्व. राम प्रसाद ठाकुर ग्राम-गदीयानी वार्ड नं०-5 पो०+थाना+जिला-मधुबनी सीआरनं०-84440 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
27	प्रमीला देवी पति-बबन सिंह ग्राम-नरायणा पो०-सुल्तानपुर थाना-फतुहा जिला-पटना सीआरनं०-64030 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
28	अलका देवी पति-शैलेश कुमार ग्राम-तरौड़ा पो०-पीर बढौना थाना-दनियामा जिला-पटना सीआरनं०-62426 / 15	हृदय रोग	₹ 40,000 /--(चालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 17,90,000 /--

- उक्त अनुदान की कुल राशि 17,90,000 /--(सतरह लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388043 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं० शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय।

31/11/16
15/11/16

यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.388043.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

10/8(14)

पटना, दिनांक 18/07/16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री अवधेश सिंह स0वि0 स0 हाजीपुर बिहार विधान सभा पटना/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
WZ
17/7/16